

कॉरपोरेशन आदेश संख्या 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का पेंशन पुनरीक्षण विवरण

क्रमांक	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम	पदनाम	कोषागार का नाम	डिस्पैच	दिनांक
1	श्री राम कुमार गुप्ता	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	1766	15.02.19
2	श्री धर्म दत्त शर्मा	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	1877	18.02.19
3	श्री रामनाथ शर्मा	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	1617	12.02.19
4	श्रीमती देवकुमारी शर्मा पत्नी स्व० मनोहर लाल शर्मा	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	1623	12.02.19
5	श्री भोजवीर सिंह	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	1618	12.02.19
6	श्री देवेन्द्र स्वरूप सक्सेना	संगणक	अलीगढ़	1619	12.02.19
7	श्री गोविन्द नारायण अग्रवाल	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1131	29.01.19
8	श्री ज्वाला प्रसाद	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1303	01.02.19
9	श्री बट्टे आलम	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1474	06.02.19
10	श्री इरफान अली	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1200	30.01.19
11	श्रीमती कुसुम लता श्रीवास्तव	कार्यालय सहायक-द्वितीय	लखनऊ	1198	30.01.19
12	श्री नाजुक जहाँ जैदी	कार्यालय सहायक-प्रथम	लखनऊ	1392	05.02.19
13	श्रीमती रीता चक्रवर्ती पत्नी स्व० गोपाल कृष्ण चक्रवर्ती	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1148	30.01.19
14	श्री चिन्ता हरण भट्टाचार्य	संगणक	लखनऊ	1289	01.02.19
15	श्री नरेश प्रसाद	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1119	29.01.19
16	श्री धीरेन्द्र कुमार	अवर अभियन्ता	उन्नाव	1452	06.02.19
17	श्रीमती दीपा अवस्थी पत्नी स्व० ओम प्रकाश अवस्थी	अवर अभियन्ता	हरदोई	1451	06.02.19
18	श्री राधा कृष्ण श्रीवास्तव	अवर अभियन्ता	हरदोई	1468	07.02.19
19	श्री राम शरण	तकनीकी सहायक	हरदोई	1475	07.02.19
20	श्री राम सरन दुबे	अवर अभियन्ता	फतेहगढ़	1398	05.02.19
21	श्री शमसुद्दीन	अवर अभियन्ता	उन्नाव	1460	07.02.19
22	श्री अनीस अहमद	अवर अभियन्ता	उन्नाव	1120	29.01.19
23	श्री राम औतार सक्सेना	अवर अभियन्ता	पीलीभीत	980	24.01.19
24	श्री विश्वनाथ जौहरी	केमिस्ट ग्रेड-प्रथम	बलरामपुर	1384	04.02.19
25	श्री ब्रह्मानन्द गुप्ता	अवर अभियन्ता	अम्बेडकरनगर	1891	20.02.19
26	श्री अनिल कुमार	अवर अभियन्ता	शाहजहाँपुर	1467	06.02.19
27	श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी स्व० रमेश चन्द्र गुप्ता	अवर अभियन्ता	हापुड	1456	06.02.19
28	श्री राज नारायण	अवर अभियन्ता	देवरिया	1305	01.02.19
29	श्री राज पति यादव	अवर अभियन्ता	आजमगढ़	1308	01.02.19
30	श्री प्रताप सिंह शाक्य	अवर अभियन्ता	फर्रुखाबाद	1671	13.02.19
31	श्री सतीश चन्द्र गर्ग	अवर अभियन्ता	मुजफ्फरनगर	1757	15.02.19
32	श्री राज बल्लभ सिंह	अवर अभियन्ता	सिद्धार्थनगर	1111	29.01.19
33	श्री दिनेश कुमार सिंह	अवर अभियन्ता	सीतापुर	1593	11.02.19
34	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	अवर अभियन्ता	सम्भल	1022	25.01.19
35	श्री मो० फाजिल अहमद	अवर अभियन्ता	ओबरा	1299	01.02.19
36	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	अवर अभियन्ता	सुल्तानपुर	1595	11.02.19
37	श्री नन्द किशोर वर्मा	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1106	29.01.19
38	श्री अशोक कुमार	आशुलिपिक श्रेणी-प्रथम	लखनऊ	1146	30.01.19
39	श्री कृष्ण पाल सिंह	अवर अभियन्ता	आगरा	976	24.01.19
40	श्री गजोधर प्रसाद पाल	अवर अभियन्ता	उन्नाव	987	24.01.19
41	श्री श्रीप्रकाश गुप्ता	अवर अभियन्ता	चन्दौसी	1017	25.01.19
42	श्रीमती बरफी देवी पत्नी स्व० श्याम सुन्दर उपाध्याय	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	1129	29.01.19

क्रमांक	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम	पदनाम	कोषागार का नाम	डिस्पैच	दिनांक
43	श्री रामेन्द्र कुमार शर्मा	अवर अभियन्ता	मेरठ	1085	29.01.19
44	श्री ऋषि चन्द्र गुप्ता	अवर अभियन्ता	सम्भल	1036	25.01.19
45	श्री राम किशोर	अवर अभियन्ता	लखनऊ	783	19.01.19
46	श्रीमती मीना श्रीवास्तव पत्नी स्व० योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव	अवर अभियन्ता	लखनऊ	785	19.01.19
47	श्री शिवाधार पाण्डेय	आशुलिपिक	लखनऊ	781	19.01.19
48	श्रीमती मेहरुनिसाँ बेगम पत्नी स्व० इम्तियाज अली खाँ	अवर अभियन्ता	मेरठ	782	19.01.19
49	श्रीमती पूर्णा देवी पत्नी स्व० आर०के० सिंह	अवर अभियन्ता	गाजिपुर	786	19.01.19
50	श्री नरेन्द्र कुमार मोदी	अवर अभियन्ता	फर्रुखाबाद	788	19.01.19
51	श्री सहजानन्द राम	अवर अभियन्ता	भदोही	789	19.01.19
52	श्री अशोक कुमार	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	790	19.01.19
53	श्री चन्द्रेश चन्द्र	अवर अभियन्ता	आजमगढ़	793	19.01.19
54	श्री यज्ञदत्त सारस्वत	अवर अभियन्ता	आगरा	766	19.01.19
55	श्री कान्ति स्वरूप	अवर अभियन्ता	मेरठ	775	19.01.19
56	श्री अमर सिंह आनन्द	अवर अभियन्ता	सहारनपुर	769	19.01.19
57	श्री अनिल कुमार गुप्ता	अवर अभियन्ता	सीतापुर	768	19.01.19
58	श्री सैय्यद हयात अहमद	अवर अभियन्ता	लखनऊ	774	19.01.19
59	श्री मदन लाल पचनन्दा	अवर अभियन्ता	लखनऊ	772	19.01.19
60	श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व० अवधेश कुमार सिंह	अवर अभियन्ता	बलिया	763	19.01.19
61	श्री पलक धारी मिश्र	अवर अभियन्ता	ऊरई जालौन	770	19.01.19
62	श्री माम राज शर्मा	अवर अभियन्ता	मुजफ्फरनगर	780	19.01.19
63	श्री ओम प्रकाश बरनवाल	अवर अभियन्ता	वाराणसी	767	19.01.19
64	श्री राजकुमारी चेतवानी	अवर अभियन्ता	लखनऊ	910	23.01.19
65	श्री राम कुमार शुक्ला	अवर अभियन्ता	शाहजहाँपुर	912	23.01.19
66	श्री श्यामजी पाण्डेय	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	472	15.01.19
67	श्री कीमती लाल	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	889	22.01.19
68	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	अवर अभियन्ता	गौतमबुद्ध नगर	845	21.01.19
69	श्री श्रीप्रकाश राय	अवर अभियन्ता	आजमगढ़	909	23.01.19
70	श्री जमशेद अली	अवर अभियन्ता	सहारनपुर	908	23.01.19
71	दशरथ राम	अवर अभियन्ता	बहराइच	868	22.01.19
72	श्री एन०यू०खाँ(नसऊल्ला खाँ)	अवर अभियन्ता	लखनऊ	905	23.01.19
73	श्री जगदम्बा बख्श सिंह चौहान	अवर अभियन्ता	रायबरेली	853	21.01.19
74	श्री पीतम सिंह	अवर अभियन्ता	गौतमबुद्ध नगर	838	21.01.19
75	श्री राजेन्द्र प्रसाद	अवर अभियन्ता	नोएडा	800	21.01.19
76	श्री सुरेन्द्र पाल पलिया	अवर अभियन्ता	लखनऊ	990	25.01.19
77	श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल	अवर अभियन्ता	बिजनौर	771	19.01.19
78	श्री ललित मोहन चौधरी	अवर अभियन्ता	लखनऊ	883	22.01.19
79	श्री गिराज किशोर वार्ष्णेय	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	776	19.01.19
80	श्रीमती नरजिस खातून पत्नी स्व० सैय्यद अली समी आबदी	अवर अभियन्ता	फैजाबाद	759	19.01.19
81	श्री राज पाल सिंह	अवर अभियन्ता	आगरा	773	19.01.19
82	श्री राजवीर गुप्ता	अवर अभियन्ता	मुरादाबाद	230	07.01.19
83	श्री ऋषिराज अग्रवाल	अवर अभियन्ता	मुरादाबाद	447	14.01.19
84	श्री राम प्रसाद वार्ष्णेय	अवर अभियन्ता	मुरादाबाद	338	10.01.19
85	श्रीमती रईसा बेगम पत्नी स्व० ताहिर हुसैन	अवर अभियन्ता	मुरादाबाद	418	14.01.19
86	श्रीमती इशरत परवीन	कार्या०अधी०-प्रथम	लखनऊ	366	11.01.19

क्रमांक	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम	पदनाम	कोषागार का नाम	डिस्पैच	दिनांक
87	श्री राम चन्द्र मिश्रा	कार्यालय अधीक्षक-प्रथम	लखनऊ	375	11.01.19
88	श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी	कार्यालय अधीक्षक-प्रथम	लखनऊ	374	11.01.19
89	श्रीमती सुशीला साहू	कार्यालय अधीक्षक-वि०श्रे०	लखनऊ	348	11.01.19
90	श्री जीतेन्द्र प्रकाश हजेला	कार्यालय अधीक्षक-प्रथम	लखनऊ	365	11.01.19
91	श्रीमती सुमित्रा शर्मा पत्नी स्व० ब्रम्हानन्द शर्मा	अवर अभियन्ता	मथुरा	765	19.01.19
92	श्री राजेन्द्र प्रसाद बंसल	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	415	14.01.19
93	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोविल	अवर अभियन्ता	मेरठ	416	14.01.19
94	श्रीमती प्रेमलता पत्नी स्व० देवेन्द्र प्रकाश गुप्ता	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	382	11.01.19
95	श्री त्रिलोक चन्द्र	अवर अभियन्ता	लखनऊ	555	16.01.19
96	श्रीमती मनोरमा सिंह पत्नी स्व० दिनेश प्रसाद सिंह	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	556	16.01.19
97	श्री रामप्रीत	कार्यालय अधीक्षक	लखनऊ	664	16.01.19
98	श्री क्रिस्टोफर फर्न्सीस	अवर अभियन्ता	लखनऊ	696	17.01.19
99	श्री भगवती प्रसाद सिंघल	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	674	17.01.19
100	श्री जीतराम	अवर अभियन्ता	सहारनपुर	677	17.01.19



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1766/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3064/07-08

दिनांक: 15.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	3311 दिनांक 24.07.2007
(ग) जन्मतिथि	:	01.06.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कुसुम गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.05.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	37400-67000 ग्रे0पे0 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे0पे0 8900
(घ) वेतन	:	55210/-
(ङ) मूल पेंशन	:	11228/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4491/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6737/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6840/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	65 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	143300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	71650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	70565/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	70565/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6870/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63695/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	42990/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1766/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3064/07-08 दिनांक: 15.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. उप मुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, कासिमपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद अनुक्षण खण्ड-तृतीय, कासिमपुर, अलीगढ़ को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
4. श्री राम कुमार गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-सी०-402, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम कुमार

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1877 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1758 / 04-05

दिनांक: 18.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री धर्म दत्त शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री धर्म दत्त शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1845 दिनांक 19.06.2004
(ग) जन्मतिथि	:	20.03.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती प्रतिभा शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.03.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	7600 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3040 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4560 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4560 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550 /-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3040 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66510 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1877 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1758 / 04-05 दिनांक: 18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप मुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, कासिमपुर, अलीगढ़।
- श्री धर्म दत्त शर्मा, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-84, प्रतिभा कालोनी, अलीगढ़।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ,



संख्या: 1617/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1739/04-05

दिनांक: 12.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री रामनाथ शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री रामनाथ शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1824 दिनांक 10.06.2004
(ग) जन्मतिथि	:	12.02.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कमला देवी शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	15.03.1948
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	28.02.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13200
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	10750/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5375/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2150/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3225/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3225/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	67200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	33600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	33600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2150/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग

पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	31450/-
-------------------------------------	---	---------

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
------------------------------------	---	-----------

(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20160/-
------------------------------------	---	---------

(ञ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
------------------------------------	---	-----------

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1617/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1739/04-05

दिनांक: 12.02.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत कय खण्ड-प्रथम हरदुआगंज थर्मल पावर प्रोजेक्ट कासिमपुर अलीगढ़ को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, उपमुख्य लेखाधिकारी, हरदुआगंज थर्मल पावर प्रोजेक्ट कासिमपुर अलीगढ़।
4. श्री रामनाथ शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, 1/234, गो० मौरगाबाद, अलीगढ़।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1623/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2171/04-05

दिनांक: 12.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती देव कुमारी शर्मा पत्नी स्व० मनोहर लाल शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती देव कुमारी शर्मा पत्नी स्व० मनोहर लाल शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2436 दिनांक 12.08.2005
(ग) जन्मतिथि	:	13.09.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती देव कुमारी शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	08.06.1951
(क) मृत्यु तिथि	:	30.09.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	18650/-
(ङ) मूल पेंशन	:	-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3683/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1623/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2171/04-05
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 12.02.19

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. उपमुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, कासिमपुर, अलीगढ़।

3. श्रीमती देवकुमारी शर्मा पत्नी स्व० मनोहर लाल शर्मा, सं०नि० अवर अभियन्ता, 5/74-ऐ० हरि बिलास नगर, आई०टी०आई० रोड, अलीगढ़।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

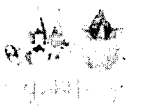
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1618/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4389/09-10

दिनांक: 12.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

अलीगढ़।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री भोजवीर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री भोजवीर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3994 दिनांक 13.10.2009
(ग) जन्मतिथि	:	02.02.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती नीरू देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	28.02.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	60340/-
(ङ) मूल पेंशन	:	24325/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	9730/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	14595/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	24325/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	14595/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	156600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	78300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	78300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	9730/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	68570/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	78300/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	46980/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1618/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4389/09-10 दिनांक: 12.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, वाष्पक अनुरक्षण खण्ड, स ताप विद्युत गृह, कासिमपुर, अलीगढ़ को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. उप मुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, कासिमपुर, अलीगढ़।
4. श्री भोजवीर सिंह, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-40, सूरजनगर, आजादपुर, दिल्ली 33.
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

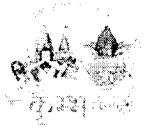
पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1619/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/866/02-03

दिनांक: 12.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री देवेन्द्र स्वरूप सकसेना, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री देवेन्द्र स्वरूप सकसेना, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	905 दिनांक 29.07.2002
(ग) जन्मतिथि	:	19.08.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शकुन्तला देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	12.09.1943
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.08.2000
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	8550-15500
(घ) वेतन	:	11025/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5200/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2080/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3120/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3120/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	67200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	33600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	33600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2080/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	31520/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20160/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1619/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/866/02-03 दिनांक: 12.02.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

पंजीकृत- 2. अधिशासी अभियन्ता, तकनीकी सेवायें एवं मानव संसाधन विकास खण्ड, हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना कासिमपुर अलीगढ़ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।

पंजीकृत- 3. उपमुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, कासिमपुर अलीगढ़।

पंजीकृत- 4. श्री देवेन्द्र स्वरूप सकसेना, से०नि० संगणक, 4/26-ए पृथ्वीनाथ, भोगीपुर, शाहगंज, आगरा।

5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1131/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2085/04-05

दिनांक: 29.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री गोविन्द नारायण अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री गोविन्द नारायण अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2163 दिनांक 20.04.2005
(ग) जन्मतिथि	:	21.09.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती बीना अग्रवाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	10.10.1950
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7600/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3040/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4560/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	7600/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4560/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3040/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65254/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	69550/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1131/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2085/04-05 दिनांक: 29.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम कागपुर।
3. श्री गोविन्द नारायण अग्रवाल, से०नि० अवर अभियन्ता, 1/95ए विनीत खण्ड गोमती नगर लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

29/1/19

रतन रायगुरु

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1303/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6254/14-15

दिनांक: 01.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री ज्वाला प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री ज्वाला प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5285 दिनांक 17.01.2015
(ग) जन्मतिथि	:	03.01.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती आशा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	15600-39100 ग्रे०पी० 6600
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रे०पी० 6600
(घ) वेतन	:	36730/-
(ङ) मूल पेंशन	:	18365/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	7346/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	11019/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	18365/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	11019/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	96600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	48300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	33850/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	48300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7346/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	40954/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	48300/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	28980/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1303/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6254/14-15 दिनांक: 01.02.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन लखनऊ।
3. श्री ज्वाला प्रसाद, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्रा०-मुरलापुर, पी०-गोयला, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम सहाय

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1474/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2370/05-06

दिनांक: 06.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री बद्धे आलम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री बद्धे आलम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 3377 दिनांक 18.09.2007
(ग) जन्मतिथि	: 13.02.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती ताहिरा बेगम
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 28.02.2005
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400-20000
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 37400-67000 ग्रेड पे० 8900
 (घ) वेतन : 20000/-
 (ङ) मूल पेंशन : 6377/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2550/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 3827/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : -
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 4073/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 62 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को पश्चिमीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : 65335/-
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 65550/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 3826/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 61724/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1474/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2370/05-06
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 06.02.2019

पंजीकृत-
पंजीकृत-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री बद्धे आलम, से०नि० अवर अभियन्ता, सी-3 म०नि० 435/415 रज्जाब गंज करीमगंज लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1200/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4764/11-12

दिनांक: 30.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री इरफान अली, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री इरफान अली, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4481 दिनांक 19.07.2011
(ग) जन्मतिथि	:	04.01.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मेहरूननिसा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2011
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	:	26880/-
(ङ) मूल पेंशन	:	13440/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	5376/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	8064/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	13440/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	8064/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	96200/- 69200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	34600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	34600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	5376/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	29224/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	34600/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20760/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1200/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4764/11-12 दिनांक: 30.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, अलीगंज लेसा, लखनऊ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
4. श्री इरफान अली, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-536/532, न्यू मदेहगंज, खदरा सीतापुर रोड, लखनऊ।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर 30/1/19

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



संख्या: 1198/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/280/95-96

दिनांक: 30.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं0 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं0 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती कुसुम लता श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक द्वितीय की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती कुसुम लता श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक द्वितीय की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	397 दिनांक 31.01.1996
(ग) जन्मतिथि	:	-
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कुसुम लता श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	10.03.1954
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	07.01.1993
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	6000-10400
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे0 4200
(घ) वेतन	:	2550/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	534/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं0 - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	06 (सी)
(ख) निर्धारित वेतन	:	62422/- 52400/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	15720
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1198/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/280/95-96

दिनांक: 30.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल शक्ति भवन लखनऊ।

3. श्रीमती कुसुम लता श्रीवास्तव से0नि0 कार्यालय सहायक द्वितीय, निवासी-सी-2,101,ए0फ0 विस्तार, एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ।

4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1392 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6300 / 15-16

दिनांक: 05.02.19

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री नाजुक जहाँ जैदी, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री नाजुक जहाँ जैदी, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5347 दिनांक 12.05.2015
(ग) जन्मतिथि	:	14.02.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	अंकित नही
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नही
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	28.02.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	15600-3910 ग्रे०पे० 5400
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	15600-3910 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	:	32500 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	16250 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6500 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9750 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नही
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	लागू नही
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	10
(ख) निर्धारित वेतन	:	84900 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	42450 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नही
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	28050 /-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	42450 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6500 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	35950 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नही
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नही
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नही

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1392 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6300 / 15-16 दिनांक: 05.02.19

प्रतिस्तिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

3. श्री नाजुक जहाँ जैदी, से०नि० कार्यालय सहायक-प्रथम, निवासी-35 गोमती विहार, तपरोही पोस्ट आफिस-चिन्हट, लखनऊ।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1148/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1747/04-04

दिनांक: 30.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती रीता चक्रवर्ती पत्नी स्व० गोपाल कृष्ण चक्रवर्ती, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती रीता चक्रवर्ती पत्नी स्व० गोपाल कृष्ण चक्रवर्ती, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1916 दिनांक 03.08.2004
(ग) जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रीता चक्रवर्ती
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.03.1962
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	03.08.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	6500-11000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 4800
(घ) वेतन	:	8300/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	2415/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	08
(ख) निर्धारित वेतन	:	53600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	16080/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1148/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1747/04-05

दिनांक: 30.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रहीमनगर, लखनऊ।
- श्रीमती रीता चक्रवर्ती पत्नी स्व० गोपाल कृष्ण चक्रवर्ती, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-10/135, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1289/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/802/02-03

दिनांक: 01.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
लखनऊ।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री चिन्ता हरण भट्टाचार्य, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री चिन्ता हरण भट्टाचार्य, सेवानिवृत्त संगणक, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2592 दिनांक 31.12.2005
(ग) जन्मतिथि	:	01.02.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मीनू भट्टाचार्य
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.02.1944
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	11575/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5200/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2080/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3120/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3120/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	71300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	35650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	35650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2080/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	33570/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	35650/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	21390/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1289/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/802/02-03 दिनांक: 01.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- मुख्य महाप्रबन्धक, ओबरा तापीय विद्युत परियोजना, ओबरा, सोनमद को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- श्री चिन्ता हरण भट्टाचार्य, सेवानिवृत्त संगणक, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-3/206 ए. निरंज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1119/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/739/2000-03

दिनांक: 29.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री नरेश प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री नरेश प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	772 दिनांक 22.04.2002
(ग) जन्मतिथि	:	23.11.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कामिनी माथुर
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	08.09.1948
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.11.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900/-
(घ) वेतन	:	17750/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5053/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2021/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3032/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3143/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	64 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	65455/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2134/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63416/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1119/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/736/02-03

दिनांक: 29.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री नरेश प्रसाद, से०नि० अवर अभियन्ता, 16/288, इन्दिरानगर लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कारपोरेशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1452/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2256/04-05

दिनांक: 06.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
उन्नाव।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री धीरेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री धीरेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2471 दिनांक 13.09.2005
(ग) जन्मतिथि	:	10.11.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती किरन गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.11.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6880/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2752/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4128/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4463/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	62 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	65335/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2752/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	62798/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1452/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2256/04-05

दिनांक: 06.02.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, देव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम उन्नाव।
- श्री धीरेन्द्र कुमार, से०नि० अवर अभियन्ता, ए-123, प्रगति बिहार, कल्याणपुर लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

सह महादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1451/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1448/03-04

दिनांक: 06.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,
हरदोई।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती दीपा अवस्थी पत्नी स्व० ओम प्रकाश अवस्थी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती दीपा अवस्थी पत्नी स्व० ओम प्रकाश अवस्थी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1716 दिनांक 06.04.2004
(ग) जन्मतिथि	:	04.11.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती दीपा अवस्थी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) मृत्यु तिथि	:	03.05.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे० पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4170/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1451/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1448/03-04

दिनांक: 06.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, एटा को सेवापुरितका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
- श्रीमती दीपा अवस्थी पत्नी स्व० ओम प्रकाश अवस्थी, से०नि० अवर अभियन्ता, 182 बंशी नगर हरदोई।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज दूरट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

सम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1468/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3094/07-08

दिनांक: 07.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
हरदोई।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राधा कृष्ण श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राधा कृष्ण श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	3328 दिनांक 08.08.2007
(ग) जन्मतिथि	:	31.07.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रामा देवी श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे0 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	10718/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4287/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6431/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	10718/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6548/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4287/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65263/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	69550/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1468/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3094/07-08 दिनांक: 07.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम हरदोई।
3. श्री राधा कृष्ण श्रीवास्तव, से०नि० अवर अभियन्ता, मो०न० 2/296, मौ० सुभाष नगर हरदोई।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1475/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6486/15-16

दिनांक: 07.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
हरदोई।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री रामशरण, सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री रामशरण, सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5543 दिनांक 28.01.2016
(ग) जन्मतिथि	:	10.07.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्री आशा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	20.06.1960
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	36920/-
(ङ) मूल पेंशन	:	18460/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	7384/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	11076/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	18460/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	11076/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	95800/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	47900/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	47900/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7384/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	40516/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	47900/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	28740/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1475/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6486/15-16 दिनांक: 07.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम हरदोई।
3. श्री राम शरण, से०नि० तकनीकी सहायक, ग्राम-बनाववा(अरुआ), पो०-मन्सूर नगर, हरदोई।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम शरण

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1398/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4190/08-09

दिनांक: 05.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

फतेहगढ़।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम सरन दुबे, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम सरन दुबे, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3801 दिनांक 26.06.2008
(ग) जन्मतिथि	:	31.08.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती माला दूबे
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	20.04.1951
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.08.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	:	11575/-
(ङ) मूल पेंशन	:	8250/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3300/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4950/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4950/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	71300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	35650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	35650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3300/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	32350/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	21390/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1398/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4190/08-09 दिनांक: 05.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, फर्रुखाबाद।
3. श्री राम सरन दुबे, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्रा०-बिजाधरपुर, सेन्द्रल जेल, फर्रुखाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1460/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4910/12-13

दिनांक: 07.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
उन्नाव।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री शमसुद्दीन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री शमसुद्दीन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4671 दिनांक 11.07.2012
(ग) जन्मतिथि	:	05.08.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्री अनवरी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.08.2011 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400 |
| (घ) वेतन | : | 31580/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 15790/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 6316/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 9474/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 15790/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9474/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	82600/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	41300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कग होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	41300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6316/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	34984/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	41300/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	24780/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1460/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4910/12-13 दिनांक: 07.02.2019
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम उन्नाव।
- श्री शमसुद्दीन, से०नि० अवर अभियन्ता, 173 रामनगर, प्राईमरी पाठशाला के पास, उन्नाव।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1120/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5140/13-14(टी0सी0) दिनांक: 29.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
उन्नाव।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अनीस अहमद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अनीस अहमद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	4868 दिनांक 08.05.2013
(ग) जन्मतिथि	:	24.12.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती इस्मत जमाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	27.02.1951
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.10.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे0 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	10742/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4296/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6446/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	10742/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6548/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4296/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65254/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	69550/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1120/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5140/13-14(टी0सी0) दिनांक: 29.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव।
3. श्री अनीस अहमद, सं०नि० अवर अभियन्ता, 4/250, विकास नगर, लखनऊ।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 980/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6224/14-15(टी0सी0)

दिनांक: 24.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
पीलीभीत।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राम औतार सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राम औतार सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	5248 दिनांक 09.12.2014
(ग) जन्मतिथि	:	03.04.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुनीता कुमारी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे0पे0 6600
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे0पे0 6600
(घ) वेतन	:	33490/-
(ङ) मूल पेंशन	:	16745/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6698/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10047/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	16745/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10047/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	87700/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	43850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	43850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6698/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	37151/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	43850/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	26310/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 980/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6224/14-15(टी0सी0) दिनांक: 24.01.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पीलीभीत।
3. श्री राम औतार सक्सेना, से०नि० अवर अभियन्ता, राजीव कालोनी (परडिया नौगवा) पीलीभीत।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1384/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/212/2000-01

दिनांक: 04.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बलरामपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री विश्वनाथ जौहरी, सेवानिवृत्त केमिस्ट ग्रेड-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री विश्वनाथ जौहरी, सेवानिवृत्त केमिस्ट ग्रेड-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	259 दिनांक 08.11.2000
(ग) जन्मतिथि	:	15.07.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती ऊषा रानी जौहरी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2000
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे० 8900
(घ) वेतन	:	18200/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6536/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2614/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3922/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4560/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	57 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	58296/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2614/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	62936/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	40500/-
(ण) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1384/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/212/2000-01 दिनांक: 04.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बलरामपुर।
3. श्री विश्वनाथ जौहरी, से०नि० केमिस्ट ग्रेड-प्रथम, निवासी-35, सिविल लाइन, बलरामपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

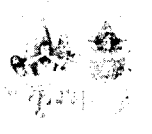
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1891/मु0अगि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4821/11-12

दिनांक: 20.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

अम्बेडकरनगर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री बृहमानन्द गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री बृहमानन्द गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पीपीओ संख्या एवं दिनांक	:	4535 दिनांक 20.10.2011
(ग) जन्मतिथि	:	23.03.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती उर्मिला गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.03.2004
(ख) तारमय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन डैड(डैड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6155/-
(व) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2462/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त छटी पेंशन	:	3693/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन संघारण दर पर	:	4170/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	59 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिलेखित लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० दिनांक द्वारा प्रकल्पित रूप से देतन निर्धारण

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित देतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित देतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित देतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	62174/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन डैटिक्स के न्यूनतम देतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2462/-
(व) राशिकरण के बाद छटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्रक्षित हो चुका है तो उसका संशोधन न लिया जाये	:	63088/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (संघारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (अनुग्रे के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/लक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किया जायेगा

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1891/मु0अगि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4821/11-12 दिनांक: 20.02.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, अम्बेडकरनगर।
3. श्री बृहमानन्द गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी ग्रा० समहरिया, पो० आसोपुर, तहसील टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रस्ता, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत

पंजीकृत

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

...



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1467 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4750 / 11-12

दिनांक: 06.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

शाहजहाँपुर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4471 दिनांक 22.06.2011
(ग) जन्मतिथि	:	09.07.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती प्रमोद
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	60340/-
(ङ) मूल पेंशन	:	25055/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	10022/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	15033/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	25055/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	15033/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	156600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(60%)	:	78300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	78300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	10022/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	68278/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	78300/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	46980/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1467 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4750 / 11-12 दिनांक: 06.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, शाहजहाँपुर।
3. श्री अनिल कुमार, से०नि० अवर अभियन्ता, म०न० 213/216 जी ब्लाक गली न० 3 राजेन्द्र पार्क गुडगांव हरियाणा।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1456/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4003/07-08

दिनांक: 06.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
हापुड़।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी स्व० रमेश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी स्व० रमेश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3341 दिनांक 17.08.2007
(ग) जन्मतिथि	:	01.10.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती उर्मिला देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	25.01.1949
2. (क) मृत्यु तिथि	:	16.08.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	10650-15200
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	12925/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5816/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	80900/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	24270/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1456/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4003/07-08

दिनांक: 06.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हापुड़।
3. श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी स्व० रमेश चन्द्र गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, म०न० 1174, न्यू शिवपुरी, हापुड़ गाजियाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1305/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1510/03-04

दिनांक: 01.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
देवरिया।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राज नारायण, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राज नारायण, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1571 दिनांक 24.12.2003
(ग) जन्मतिथि	:	04.09.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कलावती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	18200/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5813/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2315/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3488/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3488/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2315/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65185/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1305/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1510/03-04 दिनांक: 01.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. श्री राज नारायण, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-भीखम पुर रोड, अम्बेडकर नगर, देवरिया।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राज बहादुर

लेखाधिकारी-पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ

पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1308/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4080/07-08

दिनांक: 01.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आजमगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राज पति यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राज पति यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3415 दिनांक 30.10.2007
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कलावती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	10.11.1947
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	8928/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3571/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5357/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5670/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	63 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	66389/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	66389/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3571/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	62818/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	41730/-
	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1308/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4080/07-08 दिनांक: 01.02.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत कार्याशाला खण्ड, वाराणसी३ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आजमगढ़।
4. श्री राज पति यादव, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्रा०-सलारपुर, पो०-सदर थाना, कोषागार आजमगढ़।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राज पति यादव

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय

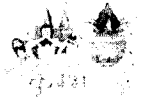
लखनऊ

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1671/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2611/06-07

दिनांक: 13.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
फर्रुखाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री प्रताप सिंह शाक्य, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री प्रताप सिंह शाक्य, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	2819 दिनांक 16.06.2006
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती हरि प्यारी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	19550/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5574/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2229/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3345/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3780/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	59 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-		
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	62174/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2229/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1671/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2611/06-07 दिनांक: 13.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, फर्रुखाबाद।
3. श्री प्रताप सिंह शाक्य, से0मि0 अवर अभियन्ता, निवासी राजीव गाँधी नगर, तण्डी सडक, फर्रुखाबाद।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत
पंजीकृत-

राम बहादुर
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1757 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1545 / 03-04

दिनांक: 15.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुजफ्फरनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सतीश चन्द्र गर्ग, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सतीश चन्द्र गर्ग, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1609 दिनांक 22.01.2004
(ग) जन्मतिथि	:	12.07.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती बीना गर्ग
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	21.05.1950
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-20000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	19100/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5251/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2100/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3151/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3585/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	58 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	59319/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2214/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63336/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1757 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1545 / 03-04 दिनांक: 15.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
3. श्री सतीश चन्द्र गर्ग, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-एल०-119, शास्त्री नगर, मेरठ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1111/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/814/02-03

दिनांक: 29.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सिद्धार्थनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राज बल्लभ सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राज बल्लभ सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3343 दिनांक 17.08.2007
(ग) जन्मतिथि	:	01.04.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती ज्ञानमती सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.04.1944
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.03.2000
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	10650-15200
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	12600/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5238/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2095/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3143/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3143/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	78500/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	39250/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	33580/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	39250/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2095/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	37155/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	23550/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1111/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/814/02-03 दिनांक: 29.01.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सिद्धार्थनगर।
3. श्री राज बल्लभ सिंह, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-गोंवर हवा बाजार, सिद्धार्थनगर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1593/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6368/15-16

दिनांक: 11.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सीतापुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री दिनेश कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री दिनेश कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5441 दिनांक 07.09.2015
(ग) जन्मतिथि	:	08.08.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रेनू सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	05.06.1956
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.08.2014 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन | : | 35840/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 17920/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 7168/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10752/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 17920/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 10752/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	93000/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	46500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	46500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7168/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	39332/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	46500/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27900/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1593/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6368/15-16 दिनांक: 11.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, सीतापुर।
- श्री दिनेश कुमार सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-एस०-675, संस्कृति, एडिल्को उद्यान-02, रायबरेली रोड, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी (पेंशन)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1022/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4292/08-09

दिनांक: 25.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 सम्भल।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3900 दिनांक 06.03.2009
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शारदा राठौर
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	6500-11000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 4800
(घ) वेतन	:	11500/-
(ङ) मूल पेंशन	:	8063/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3225/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4838/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	8063/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4838/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	08
(ख) निर्धारित वेतन	:	68000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	34000/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	23800/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	34000/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3225/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	30775/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	34000/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20400/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1022/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4292/08-0 दिनांक: 25.01.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, चन्दौसी।
3. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-निकट एल०आई०सी०, वैशनों विहार कालोनी, चन्दौसी।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1299/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2002/04-05

दिनांक: 01.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
ओबरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मो० फाजिल अहमद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मो० फाजिल अहमद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2102 दिनांक 25.02.2005
(ग) जन्मतिथि	:	31.08.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मोहम्मदी खातुन
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.08.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	18650/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6045/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2418/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3627/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3683/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	65 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	66478/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	66478/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2418/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	64060/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1299/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2002/04-05

दिनांक: 01.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, जल विद्युत संयंत्र, ओबरा।
- श्री मो० फाजिल अहमद, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-4-बी०-20, ओबरा सोनभद्र।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1595/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2130/05-06

दिनांक: 11.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सुल्तानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2559 दिनांक 05.12.2005
(ग) जन्मतिथि	:	15.01.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती इन्द्रावती
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6835/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2734/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4101/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4365/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	62 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	65330/- 65335/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2734/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	62816/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1595/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2130/05-06 दिनांक: 11.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, सुल्तानपुर।
3. श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-470, बहाराजपुर, पो०-सदर, सुल्तानपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

रतन बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
कारपोरेशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1106/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/467/01-02

दिनांक: 29.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री नन्द किशोर वर्मा, सेवानिवृत्त आशुलिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री नन्द किशोर वर्मा, सेवानिवृत्त आशुलिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	497 दिनांक 19.07.2001
(ग) जन्मतिथि	:	14.08.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मोहनी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	11.05.1948
2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.03.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	10650-15200
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रे0पे0 6600
(घ) वेतन	:	12600/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5200/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2080/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3120/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3120/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	78500/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	39250/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	33850/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगन्ध होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	39250/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2080/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	37170/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	23550/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1106/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/467/01-02 दिनांक: 29.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रहीमनगर, लखनऊ।
3. श्री नन्द किशोर वर्मा, सं०नि० अवर अभियन्ता, 537घ/504, श्री नगर कालोनी सीतापुर रोड मडियाँव लखनऊ।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1146 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6065 / 14-15

दिनांक: 30.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

सन्दर्भ:- पुनरीक्षित पेंशन अधिकार संख्या 2249 दिनांक 29.11.2018 को निरस्त करते हुए।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत्त आशुलिपिक श्रेणी-प्रथम की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत्त आशुलिपिक श्रेणी-प्रथम की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5114 दिनांक 27.05.2014
(ग) जन्मतिथि	:	04.10.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुशीला देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	30.07.1953
2. (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि	:	31.10.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	15600-39100 ग्रे०पे० 6600
(ग) वेतनमान / वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	41160 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	20580 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	8232 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	12348 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	20580 /-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	12348 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	108800 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	54400 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	33850 /-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	54400 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	8232 /-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	46168 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	54400 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	32640 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1146 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6065 / 14-15 दिनांक: 30.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. श्री अशोक कुमार, से०नि० आशुलिपिक श्रेणी-प्रथम, निवासी- 7/261 विकास नगर, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

राम लाल

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 976/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/890/02-03

दिनांक: 24.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री कृष्ण पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री कृष्ण पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1001 दिनांक 27.12.2002
(ग) जन्मतिथि	:	07.03.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती उर्मिला देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.03.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-2000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	18650/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5133/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2053/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3080/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3585/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	57 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	58296/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2053/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63497/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 976/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/890/02-03 दिनांक: 24.01.2019
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सिकन्दर, आगरा।
- श्री कृष्ण पाल सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-23, दीप नगर, आगरा।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 987/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1785/04-05

दिनांक: 24.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
उन्नाव।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री गजोधर प्रसाद पाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री गजोधर प्रसाद पाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	1871 दिनांक 17.07.2004
(ग) जन्मतिथि	:	05.05.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती आशा पाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	-
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.05.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे0 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6604/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2641/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3963/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	6604/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4365/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	61 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	64282/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2641/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	62909/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 987/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1785/04-05

दिनांक: 24.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव।
3. श्री गजोधर प्रसाद पाल, से०नि० अवर अभियन्ता, म०न०: 906, मोती नगर, उन्नाव।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1017/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4282/08 09

दिनांक: 25.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
चन्दौसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री श्रीप्रकाश गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री श्रीप्रकाश गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पीपी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	3878 दिनांक 12.01.2009
(ग) जन्मतिथि	05.01.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मधुबला गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	12.05.1954
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.01.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	37400 6700 ग्रे0पे0 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	(37400 67000 ग्रे0पे0 8900)
(घ) वेतन	55210/-
(ङ) मूल पेंशन	11010/10790
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	4404/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	6606/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	10790/-
(झ) पारिवारिक पेंशन राशिकरण दर पर	6401/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	143300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	71650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	71650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	4404/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	67246/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	71650/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (राशिकरण दर पर)	42990/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1017/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4282/08 09

दिनांक: 25.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, चन्दौसी।

3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत निर्माण एवं कार्य खण्ड, मेरठ को सेवापुरितका मूलरूप में सलमन कर प्रेषित।

4. श्री श्रीप्रकाश गुप्ता, सं०नि० अवर अभियन्ता, आनन्द कालौनी, स्टेशन रोड, चन्दौसी।

5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1129/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2505/05-05

दिनांक: 29.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

गोरखपुर।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती बरफी देवी पत्नी स्व० श्याम सुन्दर उपाध्याय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती बरफी देवी पत्नी स्व० श्याम सुन्दर उपाध्याय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2707 दिनांक 04.04.2006
(ग) जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती बरफी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) मृत्यु तिथि	:	30.11.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बेड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे० 8900
(घ) वेतन	:	17300/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6694/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा

विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	131100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	39330/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1129/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2505/05-06

दिनांक: 29.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।

3. श्रीमती बरफी देवी पत्नी स्व० श्याम सुन्दर उपाध्याय, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-112, मे० आजादनगर, बिछिया निकट एयरटेल टावर, पी०ए०एस० कैम्प, गोरखपुर-373014.

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1085/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5071/12-13

दिनांक: 29.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

मेरठ।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रामेन्द्र कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रामेन्द्र कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4802 दिनांक 31.01.2013
(ग) जन्मतिथि	:	02.02.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कुसुम शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	28.02.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	62160/-
(ङ) मूल पेंशन	:	25055/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	10022/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	15033/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	25055/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	15033/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	161300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	80650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	80650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	10022/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	70628/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	80650/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	48390/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1085/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5071/12-13 दिनांक: 29.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
3. श्री रामेन्द्र कुमार शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-बी-138, तक्षशिला कालोनी, गढ़ रोड, मेरठ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1036/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4732/10-11

दिनांक: 25.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सम्भल।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री ऋषि चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री ऋषि चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	4453 दिनांक 07.05.2011
(ग) जन्मतिथि	:	15.07.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुधा गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रेड पे0 5400
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे0 5400
(घ) वेतन	:	30660/-
(ङ) मूल पेंशन	:	15330/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6132/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9198/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	15330/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9198/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	80200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	40100/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	40100/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6132/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	33968/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	40100/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	24060/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1036/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4732/10-11 दिनांक: 25.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, चन्दौसी।
3. श्री ऋषि चन्द्र गुप्ता, से0नि0 अवर अभियन्ता, निवासी-पुरानी पंजाब बैंक के पीछे, बिसाली-बदायूँ।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 783/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5080/12-13

दिनांक: 19.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम किशोर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम किशोर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	4806 दिनांक 08.02.2013
(ग) जन्मतिथि	:	12.08.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	लागू नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	लागू नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.08.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे0 6600/-
(घ) वेतन	:	27790+6600=34390/-
(ङ) मूल पेंशन	:	17195/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6878/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10317/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	90300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	45150/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	45150/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6878/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	38272/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27090/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 783/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5080/12-13

दिनांक: 19.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री राम किशोर, सं०नि० अवर अभियन्ता, एफ०-178, राजाजीपुरम्, लखनऊ।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 785/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4238/08-09

दिनांक: 19.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती मीना श्रीवास्तव पत्नी स्व० योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती मीना श्रीवास्तव पत्नी स्व० योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3832 दिनांक 23.08.2008
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मीना श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	13.09.2007
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	49400 + 8900 = 58300/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	29150/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	17490/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं

दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा

विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	152000/-

3. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	76000/- दिनांक 13.09.2017 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	45600/- दिनांक 14.09.2017 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

4. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 785/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4234/08-09

दिनांक: 19.01.2019

प्रतिज्ञिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय निर्माण खण्ड-द्वितीय, लखनऊ।
3. श्रीमती मीना श्रीवास्तव पत्नी स्व० योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी- के-83 सी, आशियाना, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

19/01/19

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 781/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/177/2000-01

दिनांक: 19.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री शिवाधार पाण्डेय, सेवानिवृत्त आशुलिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री शिवाधार पाण्डेय, सेवानिवृत्त आशुलिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	220 दिनांक 26.09.2000
(ग) जन्मतिथि	:	01.05.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती ऊषा पाण्डेय
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.04.2000
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(6500-11000)
(घ) वेतन	:	11000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5167/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	1954/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3213/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3300/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	62 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	8
(ख) निर्धारित वेतन	:	66000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	33000/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	31000/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	23800/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	31000/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	पुनर्स्थापित

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	31000/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	19800/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 781/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/177/2000-01
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 19.01.2019

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री शिवाधार पाण्डेय, से०नि० आशुलिपिक, 559-ख/239(134) श्री नगर(सिंगार नगर), लखनऊ।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 782/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/639/01-02

दिनांक: 19.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

मेरठ।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती मेहरुन्निसाँ बेगम पत्नी स्व० इम्तियाज अली खाँ, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती मेहरुन्निसाँ बेगम पत्नी स्व० इम्तियाज अली खाँ, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	662 दिनांक 07.01.2002
(ग) जन्मतिथि	:	01.03.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मेहरुन्निसा बेगम
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(क) मृत्यु तिथि	:	15.04.1997
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	17750/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	8875/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5325/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 782/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/639/01-02

दिनांक: 19.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत कार्यालया खण्ड, मेरठ को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
- श्रीमती मेहरुन्निसाँ बेगम पत्नी स्व० इम्तियाज अली खाँ, सं०नि० अवर अभियन्ता, 119, विकासपुरी कालोनी, लिसाडी गेट, मेरठ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 786/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/680/98-99

दिनांक: 19.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

गाजिपुर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती पूर्णा देवी पत्नी स्व० आर० के० सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती पूर्णा देवी पत्नी स्व० आर० के० सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 785 दिनांक 25.09.1998
(ग) जन्मतिथि	: 20.06.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती पूर्णा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: 07.09.1955
2. (क) मृत्यु तिथि	: 13.05.1997
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	: पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	: 5850-9400
(घ) वेतन	: 8300/-
(ङ) मूल पेंशन	: लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	: लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	: लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	: लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	: 2490/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	: लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	: 6 बी
(ख) निर्धारित वेतन	: 50900/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	: लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	: लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	: लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	: लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	: लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	: लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	: लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	: 15270/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	: लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 786/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/680/98-99

दिनांक: 19.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, गाजीपुर को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गाजीपुर।
4. श्रीमती पूर्णा देवी पत्नी स्व० आर० के० सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्राम-गिक्खी चौरा, पो०-तारीघाट, गाजीपुर।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 788/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4457/09-10

दिनांक: 19.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
फर्रुखाबाद।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र कुमार मोदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र कुमार मोदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4061 दिनांक 31.12.2009
(ग) जन्मतिथि	:	31.8.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती उषा मोदी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	07.03.1949
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.08.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छँठवां मेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	:	53260 + 8900 = 62160/-
(ङ) मूल पेंशन	:	31080/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	10022/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	21058/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	18648/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	161300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	80650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	80650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	10022/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	70628/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	48390/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 788/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4457/09-10 दिनांक: 19.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, फर्रुखाबाद।
3. श्री नरेन्द्र कुमार मोदी, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-34, ग्रेटर गंगा कालोनी, गंगा नगर, मेरठ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 789/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6145/14-15

दिनांक: 19.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
भदोही।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री सहजानन्द राम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री सहजानन्द राम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5173 दिनांक 26.08.2014
(ग) जन्मतिथि	:	01.12.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती देव कुमारी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	14.07.1954
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.11.2011
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छँठवां भेदनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे० 6600
(घ) वेतन	:	25550 + 6600 = 32150/-
(ङ) मूल पेंशन	:	16075/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6430/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9645/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9645/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा

विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	85100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को

संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	42550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	42550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6430/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग

पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 789/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6145/14-15 दिनांक: 19.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, भदोही।
3. श्री सहजानन्द राम, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्राम व पो०-गोसाईपुर, जनपद, बलिया।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

21/1/19

मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
लखनऊ

पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 790/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1657/04-05

दिनांक: 19.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1779 दिनांक 10.05.2004
(ग) जन्मतिथि	:	19.04.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती पुष्पा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	08.06.1948
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.04.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	18650/-
(ङ) मूल पेंशन	:	9325/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2455/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6870/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5595/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2455/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65045/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 790/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1657/04-05 दिनांक: 19.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. उप मुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखाखण्ड, कासिमपुर।

3. श्री अशोक कुमार, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-बी-28, विद्युत नगर कालोनी, जी०टी०रोड, सिधौली, पो०-धनीपुर, अलीगढ़।

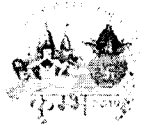
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेंक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 793/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6129/14-15

दिनांक: 19.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आजमगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री चन्देश चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री चन्देश चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5183 दिनांक 06.09.2014
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती चन्द्रमा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	20.05.1956
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छँटवा मेटनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	18630 + 6600 = 25230/-
(ङ) मूल पेंशन	:	12615/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	5046/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	7569/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	7569/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	67200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	33600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	33600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	5046/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	28554/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	20160/-
(ण) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 793/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6129/14-15 दिनांक: 19.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आजमगढ़।
3. श्री चन्देश चन्द्र, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्राम-सिंघडा, पो०-गम्गीरपुर, आजमगढ़।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

19/1/19

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 766/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1524/03-04

दिनांक: 19.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री यज्ञदत्त सारस्वत, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री यज्ञदत्त सारस्वत, सेवानिवृत्त, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	1620 दिनांक 31.01.2004
(ग) जन्मतिथि	:	04.02.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती प्रेमा सारस्वत
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	15.09.1946
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	28.02.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	8550-13500
(घ) वेतन	:	10750/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5265/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	1579/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3686/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	5265/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3225/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	67200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	33600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	33600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	1579/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	32021/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	33600/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20160/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 766/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1524/03-04
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 19.01.2019

पंजीकृत-
पंजीकृत-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, आगरा।
3. श्री यज्ञदत्त सारस्वत, से०नि० अवर अभियन्ता, 6/207 गली सेवा राम दखनाई, मदरसा ताजगंज आगरा।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 775/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4377/09-10

दिनांक: 19.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मेरठ।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री कान्ति स्वरूप, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री कान्ति स्वरूप, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	4022 दिनांक 10.11.2009
(ग) जन्मतिथि	:	25.10.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कुसुम लता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.01.1952
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.10.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	37400-67000 ग्रे0पे0 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे0पे0 8900
(घ) वेतन	:	56870/-
(ङ) मूल पेंशन	:	28435/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	7060/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	21375/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	28435/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	17061/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	147600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	73800/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	73800/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7060/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66740/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	73800/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	44280/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: /मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4377/09-10 दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
3. श्री कान्ति स्वरूप, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-483, न्यू गोविन्द पुरी, कंकरखेडा, मेरठ।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

19/1/19
मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 769/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4575/10-11

दिनांक: 19.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सहारनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अमर सिंह आनन्द, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अमर सिंह आनन्द, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4189 दिनांक 06.07.2010
(ग) जन्मतिथि	:	07.07.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कमला देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	07.07.1954
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(9300-34800 ग्रे०पे० 5400)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(9300-34800 ग्रे०पे० 5400)
(घ) वेतन	:	29760/-
(ङ) मूल पेंशन	:	14880/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	5744/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9736/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	14880/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	8928/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	9
(ख) निर्धारित वेतन	:	77900/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	38950/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	38950/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	5744/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	33206/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	38950/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	23370/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 769/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4575/10-10 दिनांक: 19.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड-प्रथम, 220के०वी० उपकेन्द्र, सहारनपुर को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, सहारनपुर।
4. श्री अमर सिंह आनन्द, से०नि० अवर अभियन्ता, सी०एल० 135 पल्लव पुरम फेज-प्रथम, मोदीनगर मेरठ।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

19/1/19

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 768/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6655/16-17

दिनांक: 19.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सीतापुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री अनिल कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री अनिल कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	5714 दिनांक 06.10.2016
(ग) जन्मतिथि	:	01.06.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	मृत्यु
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	मृत्यु
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.05.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	37400-67000 ग्रे0पे0 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे0पे0 8900
(घ) वेतन	:	64030/-
(ङ) मूल पेंशन	:	32015/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	12806/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	19209/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	32015/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	19209/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	166100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	83050/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	83050/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	12806/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	70244/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	83050/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	49830/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 768/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6655/16-17 दिनांक: 19.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, देव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम सीतापुर।
3. श्री अनिल कुमार गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, पता- 536 ए० सिविल लाइन सीतापुर।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 774/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/633/97-98

दिनांक: 19.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सैय्यद हयात अहमद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सैय्यद हयात अहमद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	721 दिनांक 17.03.1998
(ग) जन्मतिथि	:	10.07.1938
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती खदीजा हयात
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.1996
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	17750/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7726/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2633/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5093/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	7726/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5325/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	62 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	63409/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	पुनर्स्थापित
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65550/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	65550/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: /मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/633/97-98 दिनांक:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. श्री सैय्यद हयात अहमद, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-1/333, विजयन्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राज बन्नादुर

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 772/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2333/05-06

दिनांक: 19.1.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मदन लाल पचनन्दा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मदन लाल पचनन्दा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 2493A 2493 दिनांक 27.12.2005
(ग) जन्मतिथि	: 29.06.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती अरविन्दर पचनन्दा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: 25.09.1949
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	: 30.06.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	: 16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	: 16400-20000
(घ) वेतन	: 20000/-
(ङ) मूल पेंशन	: 14319/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	: 2796/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	: 11523/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	: 14319/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	: 9000/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	: 63 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	: 13
(ख) निर्धारित वेतन	: 139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	: 69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	: 66389/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	: 65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	: 66389/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	: 2796/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	: 63593/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	: 66389/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	: 41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	: लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: /मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2333/05-06 दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री मदन लाल पचनन्दा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी- म०न० ए० /1/2, पेपर मिल कालोनी, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 763/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1451/03-04

दिनांक: 19.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

बलिया।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व० अवधेश कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व० अवधेश कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1622 दिनांक 03.02.2007
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती जानकी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	07.05.1948
(क) मृत्यु तिथि	:	30.06.2003 / 01.07.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6000/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	61 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 763/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1451/03-04

दिनांक: 19.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बलिया।

3. श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व० अवधेश कुमार सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-राम दहीन पुरम, तीरवमपुर, बलिया।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

21/1/19

मुख्य अभियन्ता (पेंशन)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 770/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4056/07-08

दिनांक: 19.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
ऊरई (जालौन)

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री पलक धारी मिश्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री पलक धारी मिश्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	3392 दिनांक 10.10.2007
(ग) जन्मतिथि	:	07.03.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती निर्मला मिश्रा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.03.2006
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 37400-67000 ग्रे0पे0 8900
 (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) : 37400-67000 ग्रे0पे0 8900
 (घ) वेतन : 51020/-
 (ङ) मूल पेंशन : 25510/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 3419/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 22091/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : 25510/-
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 15306/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 135000/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 67500/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 67500/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 3419/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 64081/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : 67500/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 40500/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 770/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4056/07-08 दिनांक: 19.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड ऊरई।
3. श्री पलक धारी मिश्र, सं०नि0 अवर अभियन्ता, निवासी-850, सिविल लाइन-11, रोडवेज बर स्टेशन के पास इलाहाबाद बैंक के सामने, गोण्डा।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 780/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/760/02-03

दिनांक: 19.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुजफ्फरनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री माम राज शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री माम राज शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	876 दिनांक 06.07.2002
(ग) जन्मतिथि	:	01.05.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुनिता शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	05.08.1953
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.04.2000
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	19550/-
(ङ) मूल पेंशन	:	8993/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2800/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6193/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	8993/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5865/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	62 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	65335/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2800/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	62750/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	65550/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: /मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/760/02-03 दिनांक:

प्रतिमिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मुजफ्फरनगर।

3. श्री माम राज शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-म०न० 296, आनन्द भवन, रूडकी रोड, मुजफ्फरनगर।

4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 767/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2356/05-06

दिनांक: 19.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश बरनवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश बरनवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	2682 दिनांक 07.03.2006
(ग) जन्मतिथि	:	10.07.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती आशा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	8550-13500
(घ) वेतन	:	11575/-
(ङ) मूल पेंशन	:	8558/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2994/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5564/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	8558/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5209/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमैटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	71300/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	35650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	35650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2994/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	32656/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	35650/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	21390/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 767/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2356/05-06 दिनांक: 19.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।

3. श्री ओम प्रकाश बरनवाल, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-सी 6/11 ए. बागबरियार सिंह, चेतगंज, वाराणसी।

4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी (पेंशन)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 910/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1152/02-03

दिनांक: 23.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राज कुमारी चेतवानी, सेवानिवृत्त स्टेनोग्राफर की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राज कुमारी चेतवानी, सेवानिवृत्त स्टेनोग्राफर की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	1249 दिनांक 03.05.2003
(ग) जन्मतिथि	:	04.11.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	अंकित नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.11.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	6500-11000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे0 4800 4800-4800
(घ) वेतन	:	10500/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5200/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2080/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3120/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	08
(ख) निर्धारित वेतन	:	64100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	32050/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	23800/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	32050/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2080/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	29970/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	19230/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 910/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1152/02-03 दिनांक: 23.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री राज कुमारी चेतवानी, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-553/132 के, विद्या भवन, टेडी पुलिया, आलमबाग, लखनऊ।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 912/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5176/13-14

दिनांक: 23.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
शाहजहाँपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम कुमार शुक्ला, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम कुमार शुक्ला, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	4905 दिनांक 14.06.2013
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुमन शुक्ला
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे0पे0 6600
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे0पे0 6600
(घ) वेतन	:	32780 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	16390 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6556 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9834 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	16390 /-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9834 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	85100 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	42550 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550 /-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	42550 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6556 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	35994 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	42550 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	25530 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 912/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5176/13-14 दिनांक: 23.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, शाहजहाँपुर।
3. श्री राम कुमार शुक्ला, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-गौस नगर, हाइडिल कालोनी, जलालाबाद, शाहजहाँपुर।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

23/1/19



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 472/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2700/06-07

दिनांक: 15.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री श्यामजी पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री श्यामजी पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	2909 दिनांक 03.08.2006
(ग) जन्मतिथि	:	01.08.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती आन्या पाण्डेय
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	27.11.1957
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	10425/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4170/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6255/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6255/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4170/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65380/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 472/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2700/06-07

दिनांक: 15.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, 132 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र, परिसर, मोहददीपुर, गोरखपुर को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।
4. श्री श्यामजी पाण्डेय, से०नि० अवर अभियन्ता, वेतिया हाता, गोरखपुर।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 889/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1439/03-04

दिनांक: 22.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री कीमती लाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री कीमती लाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	2071 दिनांक 31.12.2004
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुदेश रानी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे0 6600
(घ) वेतन	:	11025/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5472/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2188/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3284/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3308/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	67200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	33600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	33600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2188/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20160/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 889/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1439/03-04

दिनांक: 22.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत संयन्त्र खण्ड, रा0वि०उ०नि०लि०, ओबरा सोनभद्र।
3. श्री कीमती लाल, से०नि० अवर अभियन्ता, म०न०: बी०-2/343-ई० तारा नगर दुग्गल फार्म नया दिल्ली।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ

पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 845/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4576/10-11

दिनांक: 21.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गौतमबुद्ध नगर।

विषय:— कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4192 दिनांक 08.07.2010
(ग) जन्मतिथि	:	16.12.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती चन्द्रकान्ता शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त तिथि	:	31.12.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	57450 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	25055 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	10022 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	15033 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	25055 /-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	15033 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० — दिनांक — द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	152000 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	76000 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550 /-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	76000 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	10022 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65978 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	76000 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	45600 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 845/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4576/10-11

दिनांक: 21.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, नोएडा।
3. श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, एम०-3 विद्या कालोनी मथुरा।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत—
पंजीकृत—

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 909/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1435/03-04

दिनांक: 23.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

आजमगढ़।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री श्रीप्रकाश राय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री श्रीप्रकाश राय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1502 दिनांक 07.11.2003
(ग) जन्मतिथि	:	01.09.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शुभावती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	10.10.1947
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	19550/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5632/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2252/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3380/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3780/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	59 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	62174/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2252/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63298/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 909/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1435/03-04 दिनांक: 23.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प्रतापगढ़।
3. श्री श्रीप्रकाश राय, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-अवन्ती पहलवानपुर, सौरी, नारायणपुर, आजमगढ़।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 908/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/891/02-03

दिनांक: 23.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सहारनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जमशेद अली, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जमशेद अली, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	922 दिनांक 16.08.2002
(ग) जन्मतिथि	:	17.10.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती आभिर बेगम
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.01.1950
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.10.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	11025/-
(ङ) मूल पेंशन	:	4629/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	1851/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	2778/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	2820/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	65 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	67200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	33600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	33091/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	33091/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	1851/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	31240/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20160/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 908/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/891/02-03 दिनांक: 23.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर।
3. श्री जमशेद अली, से०नि० अवर अभियन्ता, 12/2422, इस्लामिया डिग्री कालेज के सामने, मु० सराय हिसामुद्दीन, सहारनपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

(हस्ताक्षर)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 868/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2392/05-06

दिनांक: 22.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बहराइच।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री दशरथ राम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री दशरथ राम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2603 दिनांक 09.01.2006
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती राम देई
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	—
2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6599/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2639/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3960/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	—
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4365/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	60 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० — दिनांक — द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) मैट्रिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	63228/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2639/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका राज्ञान न लिया जाये	:	62911/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	—
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	—
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 868/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2392/05-06

दिनांक: 22.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बहराइच।
3. श्री दशरथ राम, सं०नि० अवर अभियन्ता, मोहल्ला नौशबागढ़ी, नियर-गोण्डा रेलवे कासिंग, बहराइच।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रेस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत—
पंजीकृत—

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

(हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 905/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/401/01-02

दिनांक: 23.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री एन० यू० खॉ (नसऊल्ला खॉ), सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री एन० यू० खॉ (नसऊल्ला खॉ), सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	422 दिनांक 05.05.2001
(ग) जन्मतिथि	:	17.09.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती नाजमा खान
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.2000
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	17750/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5542/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2216/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3326/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	5542/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3488/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	64 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	65455/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2216/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63334/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	65550/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 905/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/401/01-02 दिनांक: 23.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री एन०यू०खॉ(नसऊल्ला खॉ), से०नि० अवर अभियन्ता, 356/218/36 शिवाजीपुरम आलम नगर रोड।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

23/1/19

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 853/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/740/02-03

दिनांक: 21.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
रायबरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जगदम्बा बख्श सिंह चौहान, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जगदम्बा बख्श सिंह चौहान, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	769 दिनांक 19.04.2002
(ग) जन्मतिथि	:	15.09.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती फूलकली
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	21.06.1947
- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 30.09.2001 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रेड पे 8900 |
| (घ) वेतन | : | 19100/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 4898/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 1959/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 2939/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | - |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3585/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 55 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	56250/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	1959/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63591/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 853/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/740/02-03 दिनांक: 21.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रायबरेली।
- श्री जगदम्बा बख्श सिंह चौहान, से०नि० अवर अभियन्ता, 1-21 आर०डी०ए० कालोनी इन्दिश नगर, रायबरेली।
- सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 838/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4082/07-08

दिनांक: 21.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गौतमबुद्ध नगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री पीतम सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री पीतम सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	3436 दिनांक 23.11.2007
(ग) जन्मतिथि	:	02.01.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कौशल्या देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	20.05.1952
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	37400-67000 ग्रे0पे0 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे0पे0 8900
(घ) वेतन	:	55210/-
(ङ) मूल पेंशन	:	9811/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3924/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5887/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	9811/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6109/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	65 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	143300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	71650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	70565/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	70565/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3924/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66641/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	70565/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	42990/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 838/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4082/07-08

दिनांक: 21.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशारी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, नोएडा।
3. श्री पीतम सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, ए-58 सेक्टर-15 नोएडा।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 800/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4633/10-11

दिनांक: 21.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
नोएडा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

- उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4250 दिनांक 27.10.2010
(ग) जन्मतिथि	:	09.11.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कुमुद अग्रवाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	18.02.1953
 2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.11.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	62160/-
(ङ) मूल पेंशन	:	25055/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	10022/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	15033/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	25055/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	15033/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही
 3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	161300/-
 4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	80650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	80650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	10022/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	70628/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	80650/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	48390/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
 5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 800/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4633/10-11 दिनांक: 21.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, नोएडा।

3. श्री राजेन्द्र प्रसाद, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-बी-76, साउतपुर, एवं शटेसन, कराबल नगर, रोड, दिल्ली।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

21/1/19



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 990/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1127/02-03

दिनांक: 25.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र पाल पालिया, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र पाल पालिया, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	1182 दिनांक 21.03.2003
(ग) जन्मतिथि	:	12.01.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती माया देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	31.07.1946
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेडपे0 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7178/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2871/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4307/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4365/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2871/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66679/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 990/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1127/02-03 दिनांक: 25.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

पंजीकृत- 2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय निर्माण खण्ड-तृतीय, लेसा, लखनऊ।

पंजीकृत- 3. श्री सुरेन्द्र पाल पालिया, से0नि0 अवर अभियन्ता, निवासी-559-के0/01/16, गीतानगर, पो0-श्रंगार नगर, आलमबाग, लखनऊ।

4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

शरत कृष्णदत्त

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 771/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1857/04-05

दिनांक: 19.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बिजनौर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2040 दिनांक 17.12.2004
(ग) जन्मतिथि	:	05.01.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कमलेश अग्रवाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.10.1951
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7113/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2845/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4268/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4268/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2845/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66705/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 771/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1857/04-05 दिनांक: 19.01.2019

प्रतिप्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत परेषण खण्ड, बिजनौर को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बिजनौर।
- श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-डी-17, गीता नगरी, बिजनौर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 883/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1166/03-04

दिनांक: 22.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री ललित मोहन चौधरी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री ललित मोहन चौधरी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5542 दिनांक 27.01.2016
(ग) जन्मतिथि	:	05.11.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मृदुला चौधरी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.11.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	11025/-
(ङ) मूल पेंशन	:	4800/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	1920/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	2880/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	4800/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	2880/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	67200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	33600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	33600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	1920/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	31680/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20160/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 883/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1166/03-04 दिनांक: 22.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, गोण्डा।
3. श्री ललित मोहन चौधरी, से०नि० अवर अभियन्ता, सेक्टर-16, ग०न० 1322/7, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 776/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/427/01-02

दिनांक: 19.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री गिराज किशोर वाष्ण्य, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री गिराज किशोर वाष्ण्य, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	5548 दिनांक 16.02.2016
(ग) जन्मतिथि	:	09.10.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कुमकुम वाष्ण्य
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.10.2000
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे0 8900
(घ) वेतन	:	19550/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6898/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2759/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4139/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4365/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	63 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	66389/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	66389/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2759/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63630/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 776/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/427/01-02 दिनांक: 19.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम अलीगढ़।

3. श्री गिराज किशोर वाष्ण्य, से०नि० अवर अभियन्ता, एम0आई0जी0-93 ए0डी0ए0 कालोनी विकास नगर, आगरा रोड, अलीगढ़।

4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 759/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/651/01-02

दिनांक: 19.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
फैजाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती नरजिस खातून स्व० सैय्यद अली समीर आबदी, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती नरजिस खातून स्व० सैय्यद समीर आबदी, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	677 दिनांक 29.01.2002
(ग) जन्मतिथि	:	-
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती नरजिस खातून
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	18.11.1951
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3975/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	-

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 759/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/651/01-02

दिनांक: 19.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, फैजाबाद।
3. श्रीमती नरजिस खातून पत्नी स्व० सैय्यद अली समीर आबदी, अवर अभियन्ता, इमामबाड़ा फैजाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 773/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6569/16-17

दिनांक: 19.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राज पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राज पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 5636 दिनांक 28.06.2016
(ग) जन्मतिथि	: 25.06.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती पुष्पा सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: 08.06.1958
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	: 31.10.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	: 9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	: 9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	: 35170/-
(ङ) मूल पेंशन	: 17585/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	: 7034/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	: 10551/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	: 17585/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	: 10551/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	: 66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	: 09
(ख) निर्धारित वेतन	: 93000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	: 46500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	: लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	: 26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	: 46500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	: 7034/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	: 39466/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	: 46520/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	: 27900/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	: लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 773/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6569/16-17 दिनांक: 19.01.2019

प्रतिस्तिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, आगरा को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आगरा।
4. श्री राज पाल सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-12 एम/आई/जी-फेन्डस कालोनी, शाहगंज, आगरा।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 230/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4157/07-08

दिनांक: 07.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राजवीर गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राजवीर गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3509 दिनांक 25.03.2008
(ग) जन्मतिथि	:	07.07.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुनीता देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रे० पे० 8900)
(घ) वेतन	:	18650/-
(ङ) मूल पेंशन	:	9207/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3682/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5525/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5524/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3682/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका सज्ञान न लिया जाये	:	63818/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 230/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4157/07-08 दिनांक: 07.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम मुरादाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।
- श्री राजवीर गुप्ता, सं०नि० अवर अभियन्ता, सी-24, मोदीनगर मुरादाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 447/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1731/04-05

दिनांक: 14.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री ऋषिराज अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री ऋषिराज अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	1839 दिनांक 15.06.2004
(ग) जन्मतिथि	06.09.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती चित्रा अग्रवाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	17.11.1947
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	30.09.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे० 8900
(घ) वेतन	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	7150/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2860/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	4290/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4463/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण -

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	67443/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	67443/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2860/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	64583/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 447/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1731/04-05 दिनांक: 14.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत पारेक्षण खण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में सलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।
- श्री ऋषिराज अग्रवाल, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-3-सी, 221, बुद्धि विहार गझोला, मुरादाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लूइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 338 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2723 / 06-07

दिनांक: 10.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम प्रसाद वार्ष्णेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम प्रसाद वार्ष्णेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2967 दिनांक 16.09.2006
(ग) जन्मतिथि	:	22.07.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती प्रभा गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि	:	31.07.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000 / -
(ङ) मूल पेंशन	:	8583 / -
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3433 / -
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5150 / -
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9000 / -
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	57 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100 / -

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (50%)	:	69550 / -
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	60066 / -
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550 / -
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550 / -
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3433 / -
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	62117 / -
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730 / -
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 338 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2723 / 06-07 दिनांक: 10.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशायी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, सिविल लाईन, मुरादाबाद को सेवापुरितका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।
- श्री राम प्रसाद वार्ष्णेय, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-एल/सी-16, माता मन्दिर गली, प्रेम नगर, मुरादाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 418/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/191/95-96

दिनांक: 14.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

मुरादाबाद।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती रईसा बेगम पत्नी स्व० ताहिर हुसैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती रईसा बेगम पत्नी स्व० ताहिर हुसैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	233 दिनांक 07.06.1995
(ग) जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रईसा बेगम
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) मृत्यु तिथि	:	30.04.1994
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	3440-4750
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	4250/-
(ङ) मूल पेंशन	:	2351/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	783/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	1568/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	714/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	78500/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	39250/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	23550/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 418/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/191/95-96

दिनांक: 14.01.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० 400 कैं०वी० उपकेन्द्र परिसर, मझोला, मुरादाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, सिविल लाईंस, मुरादाबाद।
4. श्रीमती रईसा बेगम पत्नी स्व० ताहिर हुसैन, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-86/ए-13, नई बस्ती, मुरादाबाद।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 366/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6033/13-14

दिनांक: 11.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती इशरत परवीन, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती इशरत परवीन, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	5072 दिनांक 25.02.2014
(ग) जन्मतिथि	:	13.11.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	अंकित नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.11.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	15600-39100 ग्रे0पे0 6600
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रे0पे0 6600
(घ) वेतन	:	34130/-
(ङ) मूल पेंशन	:	17065/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	17065/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	88400/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	44200/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	33850/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	44200/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	44200/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 366/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6033/13-14 दिनांक: 11.01.19

प्रतिप्रिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

3. श्रीमती इशरत परवीन, से०नि० कार्यालय अधीक्षक-प्रथम, निवासी-202, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, काम्प्लेक्स, चौक, लखनऊ।

4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 375/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4892/11-12

दिनांक: 11.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम चन्द्र मिश्रा, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम चन्द्र मिश्रा, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	4613 दिनांक 03.04.2012
(ग) जन्मतिथि	01.03.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती माधुरी मिश्रा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.01.1954
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	29.02.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	15600-39100 ग्रेड पे 5400
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	15600-39100 ग्रेड पे 5400
(घ) वेतन	31560/-
(ङ) मूल पेंशन	15780/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	6312/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	9468/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	9468/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	65 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	10
(ख) निर्धारित वेतन	82400/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	41200/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	40575/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	28050/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	40575/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	6312/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	34263/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	24720/-
(ण) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 375/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4892/11-12 दिनांक: 11.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, वेब 3090 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- अधिसारी अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- श्री राम चन्द्र मिश्रा, से०नि० कार्यालय अधीक्षक-प्रथम, निवासी- 538/2/695, आलोक नगर, त्रिवेणी नगर, लखनऊ।
- सचिव, 3090 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 374/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4623/10-11

दिनांक: 11.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	4242 दिनांक 01.10.2010
(ग) जन्मतिथि	13.08.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रेम लता त्रिपाठी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	30.6.1955
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.08.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	15600-39100 ग्रे0पे0 5400
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	15600-39100 ग्रे0पे0 5400
(घ) वेतन	33610/-
(ङ) मूल पेंशन	16515/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	6606/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	9909/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	16515/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	9909/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	10
(ख) निर्धारित वेतन	87400/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	43700/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	28050/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	43700/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	6606/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	37094/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	43700/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	26220/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 374/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4623/10-11

दिनांक: 11.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

3. श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी, से०नि० कार्यालय अधीक्षक-प्रथम, निवासी-4, स्मार्ट विलेज, निकट इन्दलोक हाइड्रिल कालोनी, कृष्णा नगर, लखनऊ।

4. सचिव उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 348/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6366/15-16

दिनांक: 11.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
अदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती सुशीला साहू, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक(वि०श्रे०) की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुशीला साहू, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक(वि०श्रे०) की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5416 दिनांक 06.08.2015
(ग) जन्मतिथि	:	05.05.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्री हृदय राम साहू
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	04.06.1954
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.05.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	15600-39100 ग्रे०पे० 5400
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	:	37160/-
(ङ) मूल पेंशन	:	18580/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	7432/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	11148/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	18580/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	11148/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	10
(ख) निर्धारित वेतन	:	98400/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	49200/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	28050/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	49200/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7432/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	41768/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	49200/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	29520/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 348/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6366/15-16 दिनांक: 11.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता वेब उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- श्रीमती सुशीला साहू, से०नि० कार्यालय अधीक्षक(वि०श्रे०), निवासी-62, राम गोपाल विधान्त रोड, मकबूल गज, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 365/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6294/15-16

दिनांक: 11.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जीतेन्द्र प्रकाश हजेला, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जीतेन्द्र प्रकाश हजेला, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	5339 दिनांक 21.04.2015
(ग) जन्मतिथि	:	14.08.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती आशा हजेला-हजेला
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.03.1955
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.08.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रेड पे० 5400
(घ) वेतन	:	11025/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5444/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2177/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3267/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3308/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	10
(ख) निर्धारित वेतन	:	67000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	33500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	28050/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	33500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2177/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	31323/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20100/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 365/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6294/15-16

दिनांक: 11.01.19

प्रतिरूपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
3. श्री जीतेन्द्र प्रकाश हजेला, से०नि० कार्यालय अधीक्षक-प्रथम, निवासी-1/561, विकास नगर लखनऊ।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 765/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1288/03-04

दिनांक: 19.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मथुरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती सुमित्रा शर्मा पत्नी स्व० ब्रम्हनन्द शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती सुमित्रा शर्मा पत्नी स्व० ब्रम्हनन्द शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1348 दिनांक 24.07.2003
(ग) जन्मतिथि	:	15.07.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुमित्रा शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अकित नहीं
2. (क) मृत्यु तिथि	:	31.10.2018(मृत्यु)
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	19550/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6200/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2480/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3720/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3975/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	63 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	66389/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	66389/- दि० 31.10.18 तक
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2480/- दि० 31.10.18 तक
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63909/- दि० 31.10.18 तक
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 765/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1288/03-04

दिनांक: 19.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मथुरा।

3. श्रीमती सुमित्रा शर्मा पत्नी स्व० ब्रम्हनन्द शर्मा, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी 40 बी द्वारिकापुरी, बी०एस०ए० कालेज मथुरा।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 415/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/907/02-03

दिनांक: 14.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र प्रसाद बंसल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

- उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र प्रसाद बंसल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	940 दिनांक 03.09.2002
(ग) जन्मतिथि	:	10.05.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कमलेश बंसल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.08.1953
 2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.05.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे0 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5461/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2184/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3277
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4073/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	54 छमाही
 3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
 4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	56905/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3277/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	62273/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
 5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 415/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/907/02-03 दिनांक: 14.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद बंसल, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-आरद्ध-10/42, राजनगर, गाजियाबाद।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

14/1/19

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 416/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4349/09-10

दिनांक: 14.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राजेन्द्र प्रसाद गोविल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राजेन्द्र प्रसाद गोविल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	3959 दिनांक 25.07.2009
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रजनी गोविल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	19.06.1955
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2008
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	37400-67000 ग्रे0पे0 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे0पे0 8900
(घ) वेतन	:	60340/-
(ङ) मूल पेंशन	:	24325/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	9730/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	14595/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	24325/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	14595/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	156600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	78300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	78300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	9730/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	68570/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	78300/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	64980/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 416/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4349/09-10 दिनांक: 14.01.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।

3. श्री राजेन्द्र प्रसाद गोविल, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-19/10, कैलाशपुरी, गली नं०-07, गढ़ रोड, मेरठ।

4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 382/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5393/13-14

दिनांक: 11.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती प्रेमलता पत्नी स्व० देवेन्द्र प्रकाश गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती प्रेमलता पत्नी स्व० देवेन्द्र प्रकाश गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5024 दिनांक 10.01.2014
(ग) जन्मतिथि	:	12.01.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती प्रेमलता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	03.03.1956
2. (क) मृत्यु तिथि : 31.01.2010
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 37400-67000 ग्रे०पे० 8700
 (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) : 37400-67000 ग्रे०पे० 8700
 (घ) वेतन : 58580/-
 (ङ) मूल पेंशन : 29290/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : लागू नहीं
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : लागू नहीं
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 152000/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : लागू नहीं
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : लागू नहीं
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : लागू नहीं
 (ङ) राशिकृत पेंशन : लागू नहीं
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : लागू नहीं
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 45600/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 382/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5393/13-14 दिनांक: 11.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।

3. श्रीमती प्रेमलता पत्नी स्व० देवेन्द्र प्रकाश गुप्ता, सं०नि० अवर अभियन्ता, 6-जाग्रति विहार, सेक्टर-23 संजय नगर, गाजियाबाद।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 555/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4608/10-11

दिनांक: 16.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री त्रिलोक चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री त्रिलोक चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4234 दिनांक 18.09.2010
(ग) जन्मतिथि	:	25.07.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती उमा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	04.12.1952
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	:	33610/-
(ङ) मूल पेंशन	:	16515/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6606/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9909/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	16515/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9909/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	87700/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	43850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	43850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6606/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	37244/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	26310/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 555/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4608/10-11 दिनांक: 16.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- श्री त्रिलोक चन्द्र, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-568 क/11, कृष्णापल्ली, आलमबाग, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 556/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2743/06-07

दिनांक: 16.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती मनोरमा सिंह पत्नी स्व० दिनेश प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती मनोरमा सिंह पत्नी स्व० दिनेश प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2961 दिनांक 15.09.2006
(ग) जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मनोरमा सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) मृत्यु तिथि	:	31.08.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे० 8900
(घ) वेतन	:	17750/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3150/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 556/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2743/06-07

दिनांक: 16.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, अलीगढ़ को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।

3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, अलीगढ़।

4. श्रीमती मनोरमा सिंह पत्नी स्व० दिनेश प्रसाद सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-132, के०वी०, बिजली घर के सामने, मथुरा रोड, हाथरस।

5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

(हस्ताक्षर)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 664/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/672/01-02

दिनांक: 16.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रामप्रीत, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रामप्रीत, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	698 दिनांक 11.02.2002
(ग) जन्मतिथि	:	01.09.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सावरी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.08.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	10650-15200
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रेड पे० 6600
(घ) वेतन	:	12275/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5200/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2080/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3120/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3120/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	76200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	38100/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	33850/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	38100/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2080/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	36020/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	38100/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	22860/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 664/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/672/01-02 दिनांक: 16.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत मण्डल कय मण्डल, अ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, ए-708, से०-सी, महानगर, लखनऊ को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।

3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

4. श्री रामप्रीत, से०नि० कार्यालय अधीक्षक, निवासी-सी/45/8, पेपर मिल कालोनी, लखनऊ

5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

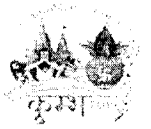
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 696/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/22/93-94

दिनांक: 17.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री किस्टोफर फ्रान्सीस, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री किस्टोफर फ्रान्सीस, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	13 दिनांक 01.01.1994
(ग) जन्मतिथि	:	04.09.1935
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती चैरिटी फ्रांसिस
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	11.08.1953
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.1993
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	3400-4750
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	4250/-
(ङ) मूल पेंशन	:	2320/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	अंकित नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	अंकित नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	अंकित नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	अंकित नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	अंकित नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	78500/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	39250/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	33850/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	39250/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	39250/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	23550/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 696/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/22/93-94 दिनांक: 17.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3. श्री किस्टोफर फ्रान्सीस, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-21/28, विग्रमादित्य मार्ग, किशचयन कालोनी, बन्दरियाबाग, लखनऊ।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

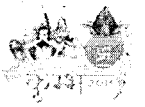
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

(हस्ताक्षर)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 674/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/383/96-97

दिनांक: 17.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री भगवती प्रसाद सिंघल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री भगवती प्रसाद सिंघल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	480 दिनांक 01.07.1996
(ग) जन्मतिथि	:	10.07.1936
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती माधवी सिंघल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.1994
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	3400-4750
(ग) वेतनमान/वेतन बेड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	3625/-
(ङ) मूल पेंशन	:	1906/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	635/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	1271/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	600/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	65 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	74000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	37000/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	36440/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	33850/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	36440/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	36440/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	22200/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	7288/- (दि० 10.07.16 से 20 प्रतिशत अतिरिक्त)

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 674/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/383/96-97

दिनांक: 17.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, लाल डिग्री अलीगढ़ को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. श्री भगवती प्रसाद सिंघल, से०नि० अवर अभियन्ता, सिंघल सदन, सुरेन्द्र नगर, अलीगढ़।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 677/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4828/11-12

दिनांक: 17.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सहारनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जीतराम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जीतराम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4543 दिनांक 03.11.2011
(ग) जन्मतिथि	:	08.09.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती यशोदा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	29760/-
(ङ) मूल पेंशन	:	14305/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	5722/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	8583/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	8583
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	77900/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	38950/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	38950/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	5722/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	33228/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	23370/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 677/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4828/11-12 दिनांक: 17.01.2019

प्रतिरूपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, सहारनपुर, को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न प्रेषित।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, सहारनपुर।
- श्री जीतराम, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-226, जैन प्लाट, वाणी बिहार, अर्धार्द वाला, देहरादून।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कर्मचारी पेंशन (हाइड्रिल)